(130)

न्यायालय श्रीमान मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी, ग्वालियर म.प्र.

निगरानी-2857/2018/भोपाल/स्टांप अधि

प्रकरण क्रमांक ....

श्रीमति नीलम चौरसिया पत्नी श्री हरिओम चौरसिया
निवासी एफ 171, राजहर्ष कालोनी,
कोलार रोड, भोपाल .... आवेदिका

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन व्दारा जिला पंजीयक
   भोपाल
2. अरूण कुमार सक्सेना आ. श्री लीलाधर सक्सेना
   व्दारा राजेन्द्र श्रीवास्तव सीनियर एल.आई.जी. 10,
   हर्षबर्द्धन नगर भोपाल .... उत्तरदाता

आवेदन अभि. श्री बी.पुन कोलार द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 28/6/18

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 56 म.प्र. स्टांप एक्ट

अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्र.क्र. 611/अपील/2012–13 मे पारित आदेश दिनांक 3.1.18 से व्यथित होकर यह अपील जानकारी दिनांक से समयअवधि मे प्रस्तुत की गयी है।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से माननीय न्यायलय से निम्न निवेदन है कि :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि अपीलार्थी व्दारा उत्तरदाता क्र. 2 से भूमि जो ग्राम गेहूखेडा प.ह.नं. 29 तहसील हुजूर जिला भोपाल जिसका पुराना खसरा क्रमांक 3/2/5 तथानया खसरा क्र. 3 रकबा 0.170 हेक्टर तथा खसरा क्रमांक 42 रकबा 0.070 हेक्टर कुल रकबा 0.240 हेक्टर रजि.विक्रयपत्र व्दारा क्रय की थी। उक्त दस्तावेज दि. 27.3.07 को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था । उक्त भूमि को क्रैय करते समय भूमि का मूल्य बिना किसी रददोबदल के अंकित किया गया था जो कि रूपये 720000/– रूपये था। जिसके आधार पर स्टांप डियूटी रूपये 60,480/– रू0 अदा की गयी थी।

यह कि उपपंजीयक ने उपरोक्त दस्तावेज को जिला मूल्यांकनसमिति व्दारा निर्धारित गाइड लाइन 2006–07 मे कम लिखित तथा म.प्र. लिखितो के न्यून मूल्यांकन निवारण नियम 1975 के तहत 12 लाख रूपये किया जाना प्रस्तावित किया था।

यह कि प्रकरण मे उत्तरदाता क्र. 1 व्दारा उपपंजीयक को अवसर प्रदानकरते हुए स्थल निरीक्षण करवायाथा जिसमे उपपंजीयक की रिपोर्ट मे यह स्पष्ट वर्णित किया गया था कि भूमि किसके मार्फत नहर के

नीलम चौरसिया / शासन आदि

X XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2857/2018/भोपाल जिला स्टाम्प अधि०

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-18	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक व उनके अभि० को समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। फिर भी कोई उप० नहीं। आवेदक की अनुपस्थित के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अध्यक्ष	